सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 409/2016

बउनवानः—

1. राधेश्याम पुत्र मूलीलाल जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. ओम प्रकाश पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

01. कन्हैयालाल पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल जिला बारां
02. गोमदी बाई पत्नि सीताराम जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
03. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते 188 आर0टी0एक्ट0 व नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज

अन्तर्गत धारा 109, 110, 111 व 136 एल0आर0एल0एक्ट

वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन

दायरा दिनांकः 15.07.2016

निर्णय दिनांक : 14.02.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी को मिशल नं0 90 दिनांक 14.06.1969 आवंटन केचमेंट माल बमोरी शिविर में ग्राम बालापुरा तहसील मांगरोल जिला बारां राज0 साबिक खसरा नं0 226/2 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा भूमि आवंटन हुयी थी। उसी के अनुरूप वादी को दिनांक 06.11.1970 को साबिक नक्शा ट्रेस के मुताबिक खसरा नं0 226/2 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा पर कब्जा व दखल दिया था तभी से वादी उक्त साबिक नक्शा ट्रेस के मुताबिक गत 45 वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर काश्त करता चला आ रहा है और वर्तमान में भी भूमि पर काबिज काश्त है। वादी को आवंटन की गयी भूमि नामान्तरकरण नं0 394 से दिनांक 21.12.2004 को राजस्व केम्प 04/1965 में खातेदारी अधिकार प्रदान कर खातेदारी कृषक दर्ज की गयी जिसके मिलान क्षेत्रफल वर्तमान खसरा नं0 486 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 487 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 488 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 489 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 490 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 492 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 493 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 494 रकबा 1.42 है0 कुल किता 8 रकबा 3.22 है0 कायम किये गये है। आवंटन व विकय सम्पूर्ण भूमि का आवंटन व

दखलनामा दिनांक 06.11.1970 आवंटित आराजी खसरा नं0 226/2 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा खातेदारी आदेश दिनांक 21.12.2004 व जमाबंदी आवंटित आराजी ग्राम बालापुरा और नक्शा वाद पत्र के साथ संलग्न है। किशनगोपाल दत्तक पुत्र रामप्रताप को आवंटन हुयी भूमि खसरा नं0 226/3 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा के हाल खसरा नं0 491/836 रकबा 0.82 है0 कायम किये गये है जो भूमि वर्तमान में किशन गोपाल दत्तक पुत्र रामप्रताप ने नामा0 नं0 688 दिनांक 05.08.2014 को प्रतिवादी कम 1 कन्हैयालाल पुत्र प्रभूलाल के बेचान करने से कन्हैयालाल को उक्त वाद में पक्षकार बनाया गया है जो प्रतिवादी कम 1 है। तथा प्रतिवादी कम 2 को सह खातेदार होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया है जिसके विरूद्ध कोई रिलिफ नही चाही गयी है। वादी को दिनांक 14.06.1969 को भूमि आवंटित हुयी है जबकि प्रतिवादी को सन 1982 में भूमि आवंटन हुयी है इस प्रकार वादी को 13 वर्ष पूर्व आराजी आवंटित की जाकर दखल दिया गया है जबकि प्रतिवादी कम 1 उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। साबिक नक्शा ट्रेस के मुताबिक प्रतिवादी कम 1 को आवंटित भूमि खसरा नं0 226/3 का नया खसरा नं0 491/836 कायम किया है वह खसरा नं0 226/2 का हिस्सा पूर्वी ओर स्थित है जो वादी की आवंटन शुदा भूमि से बिलकुल अलग है तथा सम्पूर्ण नक्शा ट्रेस में वादी की भूमि प्रस्तुत कागजो में तथा नक्शे में नम्बर 1, 2 व 3 में दर्शायी गयी है लेकिन वर्तमान नक्शे में जो वादी की भूमि दर्शायी गयी है। लेकिन वर्तमान नक्शे में जो वादी की भूमि दर्शायी है वह भूमिया पूर्व नक्शा ट्रेस बिलकुल मेड से सटी हुई है लेकिन वर्तमान नक्शा ट्रेस में अलग किया है वह भूमियां किसकी है, कहां है वह भी स्पष्ट नही है जबकि उक्त खसरा नं0 492 व 493 बिल्कुल पूर्व नक्शा ट्रेस में सटी हुयी है तथा खसरा नं0 491/836 का नक्शा पृथक से दर्शाया है जो स्पष्ट नही है कि वह भूमियां कहा पर है जबकि खसरा नं0 491/836 साबिक खसरा नं0 226/3 से बना है तो पूर्वी ओर वादी की भूमि में दर्शाया जाना चाहिए। उक्त गलत नक्शे की आड में प्रतिवादी कम 1 जबरन वादी की भूमियों के मध्य में कब्जा करना चाहता है जबकि उक्त भूमिया वादी की है तथा वादी की भूमि के मध्य में प्रतिवादी कम 1 की कोई भूमि नही है ओर न ही उसने उक्त भूमियां काश्त की है। प्रतिवादी कम 1 अपने खातते की आराजी खसरा नं0 491/836 रकबा 0.82 है0 का वादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 226/2 पर कब्जा लेने का प्रयास कर रहा है जबकि प्रतिवादी कम 1 को आवंटित आराजी खसरा नं0 491/836 रकबा 0.82 है0 खसरा नं0 226/2 के बने है यदि प्रतिवादी कम 1 को पुराना नक्शा खसरा नं0 226/2 पर ही नये खसरा नं0 491/836 का दखल दिया जो तो वादी को कोई आपत्ति नही है लेकिन प्रतिवादी कम 2 ऐसा न करके वादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 492 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 489 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 490 रकबा 0.08 है0, पर बल पूर्वक कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इन नम्बरो पर प्रतिवादी कम 1 ने बल पूर्वक कब्जा कर लिया तो वादी को अत्यधिक क्षति होगी क्योकि वादी खसरा नं0 489, 490, 492 पर लगभग 43 वर्षो से काबिज काश्त होकर काश्त

करता चला आ रहा है ओर आज तक प्रतिवादी नं0 1 ने वादी के कब्जे काश्त को चुनोती नही दी है। प्रतिवादी कम 1 द्वारा अपने आवंटन शुदा भूमि जो साबिक खसरा नं0 226/3 हाल खसरा नं0 491/836 रकबा 0.82 है0 जो पूर्व नक्शा ट्रेस के पूर्वी ओर स्थित है तथा उसकी बगल में ही वादीगण की आवंटन शुदा भूमि साबिक खसरा नं0 226/2 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा के नये नम्बर 486, 487, 488, 490, 492, 493 व 494 के मध्य में प्रतिवादी जबरन कब्जा करना चाहता है जबकि वादी को उक्त भूमिया वादी के नाम 43 वर्ष पूर्व आवंटन हुयी है तथा पटवारी द्वारा कब्जा व दखल दिया गया है जब से ही वादी उक्त भूमियों पर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर हाल नक्शा को बदलवाकर प्रतिवादी की आराजी पर कब्जा करना चाहता है जो कि अवैधानिक कृत्य है इसलिए प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करना आवश्यक हो गया है जिसके वादी अधिकारी व नालिसी है। राजस्व कार्मिको द्वारा साबिक नक्शे के मुताबिक नही बनाये नक्शे को वादी शून्य करवाकर साबिक नक्शे के अनुसार नक्शा दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी व नालिसी है। अतः वादी को आवंटन शुदा आराजी साबिक खसरा नं0 226/2 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा के हाल खसरा नं0 486 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 487 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 488 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 489 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 490 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 492 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 493 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 494 रकबा 1.42 है0 ग्राम बालापुरा तहसील मांगरोल का नक्शा ट्रेस का दुरूस्त किया जावें तथा खसरा नं0 226/3 का साबिक नक्शे के मुताबिक हाल नक्शा ट्रेस प्रतिवादी को आवंटित भूमि के पूर्वी ओर दर्शाया गया है उसी प्रकार हाल नक्शा ट्रेस का अंकन करने का आदेश प्रतिवादी कम 3 को दिया जावें तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किये वर्तमान नक्शे को अवैध व शून्य घोषित किया जावें। तथा पुराने खसरा नं0 226/2, 226/3 के नजरी नक्शे के अनुसार हाल नजरी नक्शा ट्रेस दुरूस्त किया जाकर रेकार्ड अमल करने का आदेश प्रदान करें तथा प्रतिवादी कम 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि नक्शा दुरूस्ती तक वादी को की गयी आवंटित भूमि खसरा नं0 साबिक 226/2 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 15.07.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब पेश नही किये जाने से जवाब प्रतिवादी बन्द किया गया। प्रकरण में दिनांक 13.02.2019 को साक्ष्य वादीगण की ओर से तस्दीक शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में दिनांक 13.02.2019 को वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है। वकील वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1– शपथ पत्र श्री राधेश्याम पुत्र मूलीलाल जाति मीणा निवासी बालापुरा, प्रदर्श 2– नकल आवंटन विकय

प्रतिलिपि दिनांक 09.03.1988, प्रदर्श 3– नकल दखल नामा, प्रदर्श 4– नकल जमाबंदी बालापुरा दिनांक 20. 06.2008, प्रदर्श 5– नकल मिलान क्षेत्रफल 28.06.2008, प्रदर्श 6– नकल नक्शा बालापुरा दिनांक 02.09. 2004, प्रदर्श 7– नकल नक्शा बालापुरा, प्रदर्श 8– नकल नक्शा बालापुरा 28.12.2015, प्रदर्श 9– नकल नक्शा ट्रेस बालापुरा दिनांक 28.12.2015, प्रदर्श 10– नकल नक्शा बालापुरा 28.04.2008, प्रदर्श 11– नकल नक्शा बालापुरा 19.03.2004, प्रदर्श 12– नकल आदेश राजस्व केम्प दिनांक 21.12.2004, प्रदर्श 13– नकल जमाबंदी बालापुरा दिनांक 28.12.2015, प्रदर्श 14– नकल आवंटन आदेश दिनांक 30.12.1982, प्रदर्श 15– दखल नामा दिनांक 13.02.1985, प्रदर्श 16– नकल मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 17– नकल नक्शा बालापुरा, प्रदर्श 18– नकल आदेश उप जिला कलक्टर मांगरोल, प्रदर्श 19– नकल मानचित्र बालापुरा, प्रदर्श 20– नकल जमाबंदी बालापुरा, प्रदर्श 21– नकल जमाबंदी बालापुरा, प्रदर्श 22– शपथ पत्र श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी बालापुरा का शपथ पत्र, प्रदर्श 23– बद्रीलाल पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील मांगरोल का शपथ पत्र, प्रदर्श 24– भीमराज पुत्र मूलालाल जाति मीणानिवासी बालापुरा तहसील मांगरोल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्रकरण में बयान गवाहान क्रमशः पीडब्ल्यू1– राधेश्याम पुत्र मूलीलाल जाति मीणा निवासी बालापुरा, पीडब्ल्यू 2– ओमप्रकाश पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील मांगरोल, पीडब्ल्यू 3– बद्रीलाल पुत्र माधोलाल जाति मीण निवासी बालापुरा, पीडब्ल्यू 4– भीमराज पुत्र मूलालाल जाति मीणा निवासी बालापुरा के बयान करवायें। बयान गवाहान में में वादीगण के वाद पत्र का समर्थन किया है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र में संलग्न दस्तावेजात का भली प्रकार अवलोकन किया गया है दस्तावेजी साक्ष्य व बयान गवाह में भी कथन किया है कि वादी को आवंटन शुदा आराजी साबिक खसरा नं0 226/2 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा के हाल खसरा नं0 486 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 487 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 488 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 489 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 490 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 492 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 493 रकबा 0. 15 है0, खसरा नं0 494 रकबा 1.42 है0 ग्राम बालापुरा तहसील मांगरोल पर वादीगण का वर्ष 40–45 से कब्जा काश्त है। एवं कब्जे काश्त अनुसार नजरी नक्शा दुरूस्त किये जाने का भी समर्थन किया है।

अतः मुताबिक वाद पत्र, संलग्न दस्तावेज एवं वकील वादीगण द्वारा की गई एक पक्षीय बहस एवं साक्ष्य व गवाहान के कथन के मध्य नजर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है। कि वादीगणं को आवंटन शुदा आराजी साबिक खसरा नं0 226/2 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा के हाल खसरा नं0 486 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 487 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 488 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 489 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 490 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 492 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 493 रकबा 0. 15 है0, खसरा नं0 494 रकबा 1.42 है0 ग्राम बालापुरा तहसील मांगरोल का नक्शा दुरूस्त किये जाने के

आदेश दिये जाते है। ट्रेस खसरा नं0 226/3 का साबिक नक्शे के मुताबिक हाल नक्शा ट्रेस प्रतिवादी को आवंटित भूमि के पूर्वी ओर दर्शाया गया है उसी प्रकार हाल नक्शा ट्रेस का अंकन करने का आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिया जाता है, वर्तमान नक्शे को अवैध व शून्य घोषित किया जाता है तथा पुराने खसरा नं0 226/2, 226/3 के नजरी नक्शे के अनुसार हाल नजरी नक्शा ट्रेस दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की उक्त कब्जे काश्त व खाते की आराजी में दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन

गत 45 वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर काश्त